

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) को पेनडेमिक घोषित किया जा चुका है एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लॉकडाउन के आदेश दिये गये हैं। प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण लॉकडाउन की स्थिति में कमज़ोर निराश्रित, जरूरतमन्दों को निःशुल्क इर्झ राशन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से प्रभास्त्र की जावे, जो लॉक डाउन प्रभावी रहने तक लागू रहेगी। इस संबंध में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. लॉकडाउन की स्थिति के कारण कमज़ोर तबके, निराश्रित, जरूरतमन्दों को 05 किग्रा.आटा, 1/2 किग्रा / लीटर खाद्य तेल, 1/2 किग्रा नमक, एक किग्रा दाल और 1 किग्रा चावल की खाद्य सामग्री (इर्झ राशन) निःशुल्क दिया जायेगा। यह सामग्री दस दिवस के लिए है।
2. यदि व्यक्ति उपरोक्त सामग्री में से गेहूं नहीं चाहे तो उसे 05 किग्रा, चावल उपलब्ध कराया जायेगा। व्यक्ति चाहे तो उपरोक्त सामग्री में से कम सामग्री भी जरूरत अनुसार ले सकेगा।
3. यह व्यवस्था आपदा के समय जरूरतमंद, कमज़ोर एवं निराश्रित व्यक्तियों को उनकी तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से की जा रही है। अतः इस हेतु कोई भी दस्तावेज की मांग नहीं की जायेगी।
4. इस हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
5. यह सामग्री तहसील कार्यालय, नगरी निकायों के कार्यालयों या जिला कलेक्टर जहाँ उपयुक्त समझे उनके निर्देशानुसार वितरित किये जायेंगे। जिले के पुलिस थाने भी राशन वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। वितरण का समय, स्थान एवं सामग्री वितरण के लिए अधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
6. जिला कलेक्टर द्वारा पटवारी एवं ग्राम सेवक के स्तर पर भी इर्झ राशन रखने की व्यवस्था कराई जायेगी, ताकि किसी जरूरतमंद को यहां भी राशन दिया जा सके।
7. उपरोक्त राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपना कैरीबैग / बोतल / बर्टन साथ ला सकेंगे। उक्त व्यक्ति के पास कैरीबैग नहीं होने की स्थिति में जिला कलेक्टर आवश्यक हन्तजामात करायेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि सामग्री पैकेट के रूप में उपलब्ध हो।
8. अधिकृत अधिकारी द्वारा वितरण का रजिस्टर संवादित किया जायेगा जिसमें लाभार्थी प्राप्तकर्ता का पूरा नाम एवं पता और मोबाइल नंबर अंकित करते हुए प्राप्ति के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से लिए जायेंगे।
9. वितरण के समय कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप के दौरान रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए जारी सभी उपायों का पालन किया जावे। किसी भी स्थिति में वितरण के समय भीड़ और अव्यवस्था न हो इसके लिए आवश्यक उपाय किये जावे। लाभार्थियों के बीच एक भीटर की दूरी रखी जावे।
10. उक्त वितरण की जाने वाली खाद्य सामग्री को दान दाताओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा जिस हेतु दान दाता जिला कलेक्टर, उपर्युक्त अधिकारी, तहसीलदार, नगरी निकायों के कार्यालय प्रमुख या जिला रसद अधिकारी से संपर्क कर दान सामग्री के रूप में दे सकते हैं। केवल अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री ही स्वीकार की जानी चाहिए। यदि दानकर्ता नकद में या चेक से मुगालन करना चाहते हैं तो नकद अथवा चेक जिला कलेक्टर कार्यालय एवं व्यानीय निकाय के खाते में प्राप्त किये जा सकेंगे। इस हेतु प्राप्त राशि के लेखों का संधारण स्थानीय निकाय पृथक

से करेंगे एवं इसके लिए प्राप्त राशि का उपयोग जिला कलक्टर के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

11. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सचिवालय खाला, जयपुर में एक अलग से मुख्यमंत्री सहायता कोष का खाला खोला गया है। कलेक्टर जिला स्तर पर संसाधनों की कमी होने पर उक्त राशन सामग्री के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से फंड की मांग कर सकते हैं। जिसे उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। कलेक्टर इस उद्देश्य के लिए अपने अनटाइड फंड का भी उपयोग कर सकते हैं।
12. जिला कलेक्टर खाली सामग्री एवं फंड जुटाने के लिए विभिन्न संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों (NGO), उद्योग संघों, व्यापार संघों, से इस तरह के योगदान के लिए सतत संपर्क करेंगे।
13. इस व्यवस्था के संचालन के लिए जिला कलक्टर अन्य विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवाएं (राजस्व अधिकारी करने वाले विभाग एवं आवश्यक सेवाओं के विभागों को छोड़कर) ले सकते हैं। राज्य सरकार अपेक्षा करती है कि जिला कलक्टर एवं उनकी टीम संवेदनशीलता से कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करेंगी कि राज्य के अन्दर कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार न हो।
14. उपरोक्त प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार जिला कलक्टर द्वारा करवाया जायेगा।

यह निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

मिशन
महाजन
शासन सचिव
दिनांक 23/03/2020

एक 17(26) खा.वि./न्याय/72-III

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाली मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य खाली मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर / जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त पुलिस अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त उपर्युक्त अधिकारी / तहसीलदार राजस्थान।
10. समस्त अधिकारीगण, खाली विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्त पत्रावली।

अधिकारी
श्रीराम खाली
आयुक्त